

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - ११९ / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, २३/०९/2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :-

जनपद- बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत रमाडी से मनधूरा तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.990 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/155585/2022।

संदर्भ:-

आपका पत्रांक 1653/FP/UK/ROAD/155585/2022 दिनांक 10.01.2023।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के पत्रांक 8/12-1 (2) दिनांक 03.07.2023 द्वारा सूचित किया है। जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न- यथोपरि।

भवदीय

(पी०के० पात्रो)

मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

2023

वन विभाग प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-dfobag-forest-uk.nic.in/ dfo_bageshwar@rediffmail.com

दूरभाष एवं फैक्स नं०: 05963-220249 वन मित्र काल सेटर- 9208008000

पत्रांक
सेवा में

8 / 12-1-2

बागेश्वर

दिनांक : 03/07/2023

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोडा।

विषय - जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत रमाड़ी से मनधूरा तक 3.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.990 है वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून का पत्रांक सं० 1653/FP/UK/ROAD /155585 /2022 दिनांक 10.01.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है, कि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून द्वारा उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तियां लगायी गयी है प्रस्तावक विभाग द्वारा निराकरण कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु सं० 1	प्रस्ताव को भलीभांति बाइण्डिंग कर प्रेषित किया जाय।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव बाइण्डिंग कर प्रेषित की जा रही है।
2	प्रस्ताव में विषयसूची अंकित नहीं की गई है, विषयसूची पृष्ठ संख्या अंकित करते हुए प्रस्ताव के प्रारम्भ में संलग्न करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव में विषयसूची पृष्ठ संख्या अंकित कर सूची प्रस्ताव में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
3	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1, 2 व 3 को प्रस्ताव में कमवार संलग्न करने का कष्ट करें।	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1, 2 व 3 को प्रस्ताव में कमवार संलग्न कर दिया गया है।
4	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग- 2 में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित है।	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग- 2 में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर कर प्रस्ताव में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
5	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र 2.23 स्थलीय निरीक्षण आख्या (SIR) में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित है।	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र 2.23 स्थलीय निरीक्षण आख्या (SIR) में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर कर प्रस्ताव में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
6	प्रस्तावित परियोजना में 20 बांज वृक्षों का पातन निहित है। अतः बांज वृक्षों के पातन हेतु सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति प्रस्ताव में संलग्न करें।	उक्त प्रकरण पर कार्यवाही आपके स्तर से की जानी है।
7	प्रस्ताव में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची ऑनलाईन अपलोड करते हुए प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रस्ताव में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची ऑनलाईन अपलोड करते हुए प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
8	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम एवं इंग्लिश नाम अंकित कर सूची प्रस्ताव में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
9	प्रस्ताव में संलग्न मानचित्र एवं Kml file को सी०डी० में 3	प्रस्ताव में संलग्न मानचित्र एवं वं Kml file की सी०डी० में 3

न उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,

(उमेश चन्द तिवारी)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

प्रस्ताव संख्या 155585 / 2012

प्रभावित बांज वृक्षों के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण आख्या

जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत रमाड़ी से मनधूरा तक 03.00 कि०मी० प्रस्तावित मोटर मार्ग का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 02.09.2023 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर, उप प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर, वन क्षेत्राधिकारी धरमघर एवं कनिष्ठ अभियन्ता लो०नि०वि० कपकोट मौके पर उपस्थित रहे।

उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में कुल 98 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, जिस में 20 बांज वृक्ष भी सम्मिलित हैं। इस मोटर मार्ग के निर्माण से 86 परिवारों के कुल 518 व्यक्ति लाभान्वित होंगे।

इस मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने के उपरान्त 86 परिवारों के 518 व्यक्तियों के लाभ को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त कार्य हेतु प्रस्तावित वन भूमि को जनहित में हस्तान्तरण करने की संस्तुति की जाती है।


(प्रसन्न कुमार पात्रो)

मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा